यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल के माह 12/2014 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्री एफ.आर. खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 03.03.2017 तक में श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण (20.02.2017 से 22.02.2017) में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नवीन कुमार मौर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2014 से 30.12.2014 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2012 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, वृद्ध निगरानी एवं स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवा तथा इकाई/विभाग द्वारा अन्य महिलाओं से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाता है जैसेः हमारी कन्या हमारा अभियान, वृद्ध महिला पोषण योजना आदि। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र जनपद नैनीताल है।

3(i) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	1276.90	1250.65	1285.71	952.63	-	359.33
2014-15	-	-	1568.49	1542.07	2443.67	2372.77	-	97.32
2015-16	-	-	30.70	21.05	214.22	210.27	-	13.60
2016-17 (upto Jan.)	-	-	25.30	21.93	467.44	459.57	-	11.24

(II) इकाई को बजट आवंटन निदेशालय, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई वर्तमान में (सी) श्रेणी की है।

(III) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015 एवं सितम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
AIR-32/2010-11	-	1,2	-
AIR-56/2012-13	-	-	1
AIR-140/2014-15	1	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग–II "ब"

प्रस्तर–1 -धनराशि रू. 60.15 लाख पात्र लाभार्थियों को वितरण न कर अवरूद्व रखने ।

शासनादेश (05/2009) के अनुसार 01 जनवरी 2009 से परिवार में जन्म लेने वाली कन्या शिशुओं के लिए राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना प्रारभ्भ की गयी। जो की अब **नन्दा देवी कन्या योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान** के नाम से संचालित की जा रही है। योजना जनवरी 2009 से लागू है। **शासनादेश (10/2014)** राज्य में बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से बी पी एल श्रेणी के अर्न्तगत आने वाल परिवार को लाभ देने के उद्देश्य से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/प्रदान किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में रू. 5000/की धनराशि (Account payee) चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावकों (माता/पिता) को प्रदान की जायेगी। शेष रू.10000/– की धनराशि की 10 वर्ष के लिए एफ डी (सावधि जमा) जनपद के लीड बैक के माध्यम से कन्या तथा उसकी माता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। योजना की द्वितीय किश्त 10 वर्ष की आयु के उपरान्त पुनः कन्या की माता के खाते में ई–ट्रान्सफर के माध्यम से रू.5000/की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 08 वर्षो की अवधि के लिए जनपद के लीड **बैंक** के माध्यम से एफडी करा दी जायेगी। शासनादेश में स्पष्ट **प्रावधान** है कि बालिकाओं की माता के नाम बैक खाता प्राथमिकता के आधार पर जीरों बैलेन्स नो क्लियरेन्स बचत खाता तत्काल खुलवाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल के योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की **जॉच में** पाया गया कि 09 ब्लाकों में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 मे क्रमश 760 एवं 2666 लाभार्थिर्यो का चयन किया गया है। जिसके लिए कोषागार सें वर्ष 2015–16 में (रू.15000 प्रति दर से) कुल रू 114.00 लाख अवमुक्त किये गये है एवं वर्ष 2016–17 में 2666 लाभार्थियों के लिए कुल रू .400.00 लाख अवमुक्त किये गये। आगे यह भी संज्ञान में आया कि वर्ष 2015–16 में जनपद में (09 ब्लाकों में) 92 लाभार्थियों को रू.13.80 लाख की धनराशि जो बैकों को प्रेषित की गयी है सम्प्रेक्षा अवधि (01/17) तक बैक में खाते न खोले जाने के कारण लाभार्थियों के बैक खातें मे जमा **नहीं** हुई है तथा **अवरूद्ध** पडी है। जबकि शासनादेश के अनुसार **लाभार्थी** का **बैंक** खाता खोला जाना अनिवार्य है। इसके अतरिक्त वर्ष 2016–17 में जनपद में 309 लाभार्थियों को धनराशि रू. 46.35 लाख वितरित **नहीं** की गयी है। जिससे कि **लाभार्थी** इस लाभ से वचिंत रहे।यह धनराशि **ब्लॉक** स्तर पर अवरूद्व पडी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कुल (92+309) 401 **लाभार्थी** इस का लाभ से वचिंत रहे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि वर्तमान में खातों में सुधार कर FD बनवाने की प्रकिया गतिमान है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि शासनादेश में स्पष्ट प्रवधान है कि बालिकाओं के माता के नाम **बैंक** खाता प्राथमिकता के आधार पर जीरों बैलेन्स नो क्लियरेन्स बचत खाता तत्काल खुलवाने जाये जबकि धनराशि **अवमुक्त** के 04 माह से लेकर 12 माह तक भी **लाभार्थी** येाजना का लाभ पाने से वंचित रहा। **क्योंकि** यह एक समयबद्व योजना है जिसका लाभ समय से ही **लाभार्थी** को दिया जाना अनिवार्य था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया है।

अतः पात्र लाभार्थियों को धनराशि रू. 60.15 लाख वितरण न कर अवरूद्व रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- धनराशि ` 157.50 लाख के निर्माण कार्य का अपूर्ण रहना।

निदेशालय आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग) देहरादून के पत्रांक C-3615/आ.ब.भ.-448-v/2014-15 दिनांक 23.02.2015 के अनुपालन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को 113 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 09 उच्चीकरण आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु कुल धनराशि ` 517.50 लाख अवमुक्त किए गए। आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के दिशानिर्देश में स्पष्ट प्रावधान था कि आंगनबाड़ी केन्द्र कार्य प्रारम्भ होने के 11 माह के अंदर पूर्ण किए जाने चाहिए थे। आगे पाया गया कि इकाई द्वारा समस्त विकास खंड को कुल स्वीकृत 113 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए ` 4.50 लाख की दर से कुल धनराशि ` 508.50 लाख माह 08/2015 को अवमुक्त किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि 78 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण ही पूर्ण किए गए थे एवं 35 आंगनबाड़ी केन्द्र अपूर्ण थे (सूची संलग्न)। कार्यालय को निदेशालय के द्वारा धनराशि 02/2015 को ही प्राप्त हो गया था परंतु आगंबाड़ी केन्द्रों को निर्माण हेतु विकास खण्डों को उक्त धनराशि 08/2015 को अवमुक्त किए गए थे। विकास खण्ड़ों को धनराशि अवमुक्त होने के 18 माह के पश्चात भी धनराशि ` 157.50 लाख (` 4.50 लाख × 35 अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र) के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके थे। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत लेवर को मजदूरी प्राप्त न होने, गर्मियों में पानी की कमी एवं बरसात में आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित रोड़ अवरोध आदि होने के कारण एवं कार्यालय स्तर पर कार्यवाही होने के कारण उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समस्त कार्य 11 महीनों के अंदर पूर्ण किए जाने चाहिए थे। जिससे कि लाभार्थियों को इसका लाभ यथाशीघ्र मिल सके जो कि नहीं होने के कारण दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) निरंक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	सुश्री अनुलेखा बिष्ट	जिला कार्यक्रम अधिकारी	अगस्त 2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)